# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 1, शक सम्वत् 1936)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 2. बहिर्गमन

**इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर वेट टैक्स संबंधी प्रश्न संख्या 20 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन**

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर वेट टैक्स संबंधी प्रश्न संख्या 20 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

### 3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की सतना जिले में अमानक बीज बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही न होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश के भिण्ड, मरैना, ग्वालियर, दतिया एवं शिवपुरी जिले में दस्यु उन्मूलन कानून लालू करने के दौरान पुलिस द्वारा किसानों को परेशान किये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के कृषकों को कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध न कराई जाने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की लेबड़ नयागांव फोरलेन रोड निर्माण कम्पनी की लापरवाही से दुर्घटनाएं होने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर कृषि मंडी में सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराई जाने की योजना बंद होने,

(6) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की भोपाल शहर में अवैध भवनों का निर्माण होने,

(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर के मानपुर में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाएं न होने,

(8) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह में अनियमितता होने,

(9) श्रीमती चन्दा गौर, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम मुहारा में मंदिर की भूमि पर अपराधियों द्वारा कब्जा किये जाने,

(10) श्री हर्ष यादव, सदस्य की शिवपुरी जिले के पिछोर में वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित न किये जाने तथा

(11) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की गंजबासौदा के ग्यारसपुर एवं हैदरगढ़ में संचालित विद्यालय बंद किये जाने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-12 पटल पर रखे.

## 5. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जसवन्त सिंह हाड़ा एवं कुंवर जी कोठार, सदस्यगण ने शाजापुर जिले के शुजालपुर से सारंगपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के गन्ना उत्पादक कृषकों को शासन से अपेक्षित सहयोग न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

## 6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री उमंग सिंघार (जिला-धार)
(2) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(3) श्रीमती चन्दा गौर (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(5) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(6) श्री नारायण सिंह पवार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-बड़वाह)
(9) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(10) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(11) श्री राजेश सोनकर (जिला-इन्दौर)
(12) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)

## 7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 8. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2015 को 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

## 9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 18 फरवरी, 2015 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

## 10. विशेष उल्लेख
### मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार पर बधाई

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय एवं डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा प्रदेश को लगातार तृतीय वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर द्वारा मुख्यमंत्री को बधाई दी गई.

## 11. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 13 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है. तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए:-

| क्रमांक | सदस्य का नाम | संशोधन क्रमांक |
|---|---|---|
| (1) | श्री बाला बच्चन | 1 |
| (2) | डॉ. गोविन्द सिंह | 2 |
| (3) | श्री दिनेश राय | 3 |
| (4) | श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा | 4 |
| (5) | श्री आरिफ अकील | 5 |
| (6) | श्री जितू पटवारी | 6 |
| (7) | श्री रामनिवास रावत | 7 |
| (8) | श्री सत्यप्रकाश सखवार | 8 |
| (9) | श्री सुखेन्द्र सिंह | 9 |
| (10) | श्री निशंक कुमार जैन | 10 |
| (11) | श्रीमती ऊषा चौधरी | 11 |
| (12) | श्रीमती शीला त्यागी | 12 |
| (13) | श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया | 13 |

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री मुकेश नायक

**(चर्चा जारी)**

## 12. अध्यक्षीय घोषणा
### सदन के समय में वृद्धि एवं अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - "विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य हेतु नियत है, परन्तु आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपराह्न 1.00 बजे तक चर्चा उपरान्त सदन के समय में वृद्धि कर कार्यसूची में उल्लिखित अशासकीय कार्य लिया जाएगा."

## 13. अशासकीय संकल्प

### (1) जबलपुर से अमरावती सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाना तथा वापसी कटनी तक की जाना

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि –

"सदन का यह मत है कि 12160 जबलपुर से अमरावती सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाये तथा 12159 अमरावती जबलपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को अमरावती से कटनी तक चलाया जाये.".

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

### (2) भोपाल से उदयपुर एवं एवं वापसी, एक्सप्रेस ट्रेन को व्हाया चित्तौड़गढ़ चलाई जाना

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि –

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से उदयपुर एवं उदयपुर से भोपाल व्हाया चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाये. ". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

### (3) सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड़ सिंगरौली, महदइया, को प.म.रेल्वे जोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाना

(3) श्री राम लल्लू वैश्य, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि –

"सदन का यह मत है कि पूर्व मध्य रेल्वे जोन में सम्मिलित जिला सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड़ सिंगरौली, महदइया, को प.म.रेल्वे जोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाये. ". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

### (4) जिला उज्जैन के आकाशवाणी केन्द्र में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदस्थापना शीघ्र प्रारंभ की जाना

(4) डॉ मोहन यादव, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि –

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिला उज्जैन में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी केन्द्र में आवश्यक कर्मचारियों/ अधिकारियों की पदस्थापना कर शीघ्र प्रारंभ किया जाये.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

### (5) जिला-रतलाम के जावरा शहर में रेलवे स्टेशन के पास ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना

(5) अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के उपपद (5) पर अंकित श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य के अशासकीय संकल्प को माननीय सदस्य के अनुरोध पर, आगामी शुक्रवार को लिये जाने की घोषणा की गई.

अपराह्न 1.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015 (4 फाल्गुन, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भगवानदेव ईसरानी,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 20 फरवरी, 2015**